

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No- 01374222444 2666 /12-1 , कोटबंशला दिनांक 24 / 02 / 2018

पत्राक-

सेवा में.

वन संरक्षक. भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती।

प्रपोजल संख्या-FP/UK/ROAD/20224/2016 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत मरगांव चिमयारी गमरी उलण मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी का पत्रांक-245/3LA दिनांक 24.02.2018।

महोदय.

प्रपोजल संख्या-FP/UK/ROAD/20224/2016 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के अन्तर्गत मरगांव चिमयारी गमरी उलण मोटर मार्ग पर लगी आपत्तियों का फार्म-ए में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधन कर दिया गया है। आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार इस कार्यालय में ऑनलाइन एवं हार्ड कापी सहित प्रस्तत किया गया है। प्रस्तत निराकरण आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित की जा रही है-

tilet		माग्रम आवश्यक कायवाहा हतु प्राषत का जा रहा ह:-
क्र.	भारत सरकार के कार्यालय द्वारा लगायी गई	प्रयोक्ता एजन्सी द्वारा प्रतिउत्तर
सं	आपत्तियां	
1	In response to reply on point 3 of previous EDS, on FRA, it is found that the FRA certificate and annexure submitted bear different name and area than proposed.	In response to reply on point 3 एफ0आर0ए0 से सम्बन्धित सभी अभिलेख संशोधित कर पार्ट—1 के पैरा—K में अपलोड कर दिया गया है। (प्रतियां संलग्न है।)
i)	Submit original Hard copy of FRA for the area proposed bearing the name of project.	एफ0आर0ए0 की मूल कापी को संलग्न कर दिया गया है।
ii)	Upload online corrected FRA certificate at para K online Part I.	एफ0आर0ए0 को संशोधित कर पार्ट-1 के पैरा-K में अपलोड कर दिया गया है। (प्रतियां संलग्न है।)
iii)	Proceedings of DLC may be corrected for the area and name of project and hard copy submitted, in original/attested.	डी०सी०एल० संशोधित कर पार्ट-1 के पैरा-K में अपलोड कर दिया गया है। (प्रतियां संलग्न है।)
iv)	Proceedings of DLC may be corrected for the area and name of project online.	डी०सी०एल० में क्षेत्रफल व नाम को संशोधित कर पार्ट–1 के पैरा–к में अपलोड कर दिया गया है। (प्रतियां संलग्न है।)
v)	SDLC proceedings may be corrected for area and submitted in hard copy	एस०डी०एल०सी० में क्षेत्रफल को संशोधित कर पार्ट-1 के पैरा-K में अपलोड कर दिया गया है। (प्रतियां संलग्न है।)
vi)	SDLC proceedings may be corrected for area and uploaded online.	एस०डी०एल०सी० में क्षेत्रफल को संशोधित कर पार्ट-1 के पैरा-к में अपलोड कर दिया गया है। (प्रतियां संलग्न है।)

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी

परियोजना का नाम :-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में मरगांव—जसपुर—चिमयारी से उलण मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 9.00 किमी0 लम्बाई हेतु 4.879 हे0 आरक्षित/सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

FORM-1

(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector-uttarkash No..!6!....Dated-21-02-18

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.879 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of construction division public works department...chinyalisour uttarkashi for road construction in uttarkashi district falls within jurisdiction of Ulan. village (s) in chinyalisour tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 4.879 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **23 to 23.2** annexure
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.

Encl: As above.

(Dr. Ashish Chauhan)

District Magistrate-uttarkashi

प्रारुप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

(Dr. Ashish Chauhan)

District Magistrate-uttarkashi

It is cetified that –Minutes of meeting of Margaon –Jaspur-Chamiyari to Ulan M/R (Length 9.00 Km.) Regarding FRA is as following:-

Sr. no.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlemet of rights under the FRA has been carried out the entire 4.879 Het of forest area proposed for deversion. A cppy of record of all consultaions and meeting of Forest Right committee (S), Gram Sabha (s)] Sub division level Committee are cnlosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are on habitants belonging to scheduled tribes and tther traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes copy records attached as are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concernes villages regarding construction of aforesaid Mothr road attached.
(c)	The proposal does not immvolce recoginized rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.	Yes copy of recores attached and there are no habitants belonging to sceduled tribes and other traditional forest dwellers.

(Dr. Ashish Chauhan)

District Magistrate-cum-chairman District Level Committe Uttarkashi

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी जिला स्तरीय समिति, जिला-उत्तरकाशी।

आज दिनांक 21-02-2010 को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के मरगांव—जसपुर—चिमयारी से उलण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.879 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनिय 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति ।

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री डा० आशीष चौहान	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	T Cm
2	श्री जीत सिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी।	जिला समाज कल्याण के जिला समाज कल्याण के जिला समाज कल्याण कि जिला कि ज
3	श्री सन्दीप कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी	जितेन्द सिंह राण्ड
4	श्री जितेन्द्र सिहं राणा	जिला पंचायत सदस्य टकनौर	सार्ख चित्रा ज्ञायत टकानीर जिल्ला समिति उत्तर
5	श्रीमती अनिता गुसांई	जिला पंचायत सदस्य कन्सेंण	al Trace of the same
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य	विक्सा-भटवाड़ी, उसेस

परियोजना का नाम :-राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में मरगांव—जसपुर—चिमयारी से उलण मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 9.00 किमी० लम्बाई हेतु 4.879 हे0 आरक्षित/सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डुण्डा अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति चिन्यालीसौड़

उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत मरगांव—जसपुर—चिमयारी से उलण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (3.549 है0) आरक्षित वन भूमि, 1.330 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमिहै0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल (4.879 है0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चिन्यालीसौड़) की दिनांक िन्यालीसौड़) को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सौरभ असवाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1— श्री सौरभ असवाल उपजिलाधिकारी **डुण्डा** अध्यक्ष
- 2- श्री आर**०बी० सिहं यादव** उप प्रभागीय वनाधिकारी **डुण्डा** सदस्य
- 3- श्री सुधीर चन्द्र जोशी सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड़ सदस्य / सचिव
- 4- श्री बिजेन्द्र सिहं रावत बी०डी०सी० क्षेत्र चिन्यालीसौड़ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मरगांव—जसपुर—चिमयारी से उलण मोटर मार्ग परियोजना हेतु 4.879 है0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजिनक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **डुण्डा** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत मरगांव—जसपुर—चिमयारी से उलण मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.879 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- चिन्यालीसौड़ जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

> उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- चिन्यालीसौड़ जनपद उत्तरकाशी

कार्यालय उप जिलाधिकारी डुण्डा (उत्तरकाशी) उप खण्ड स्तरीय समिति, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

आज दिनांक 17/12/2017 को चिन्यालीसौड़ से मरगांव—जसपुर—चिमयारी से उलण मार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनिय 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी डुण्डा की अध्यक्षता में हुयी मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :—

क्र. अधिकारी व स.	का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
श्री सौरभ असव	वाल	उपजिलाधिकारी डुण्डा	8
2 श्री आर0बी0 रि	प्तहं यादव	उप प्रभागीय वनाधिकारी खुण्डा	9500
3 श्री सुधीर चन्द्र	जोशी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड	The we in w
4 श्री बिजेन्द्र सि	हं रावत	बी0डी0सी0 क्षेत्र चिन्यालीसौड	/ प्रमुख रिकार